मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
ब्लॉक नं. - 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

क्रः का०नि०(मा०स०एवं प्र०)/मप्रपॉजकंलि/स्था/3476 जबलपुर, दि : 25.07.2013

आदेश

पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल से म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. में अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित कर्मचारियों को म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के आदेश कमांक 01–07/वेपुप्र/341 दिनांक 12.01.1998 तथा स्पष्टीकरण परिपत्र कमांक 01–07/वेपुप्र/ 2481 दिनांक 07.05.2009 के अनुसार 01.08.1997 से स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता देय है।

2. म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क. एफ 11–12/2010/नियम/चार, भोपाल दिनांक 01.09.2012, जो गृह भाड़ा भत्ता की दरें पुनरीक्षित किये जाने से संबंधित है, को यथावश्यक संशोधन सहित "शासकीय सेवक" के स्थान पर "कंपनी कार्मिक" प्रतिस्थापित करते हुए उन कार्मिकों, जिनकी सेवायें पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल से कंपनी को पूर्ण रूप से अंतरित की गई है, हेतु दिनांक 01 जुलाई 2013 से एतद्द्वारा ग्राह्य किया जाता है। तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 जुलाई 2013 से निम्नानुसार होंगी :–

क्र.	शहर/कस्बे की आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर)	गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1.	7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	10 % (दस प्रतिशत)
2.	3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	7 % (सात प्रतिशत)
3.	50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	5 % (पांच प्रतिशत)
4.	50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	3 % (तीन प्रतिशत)

3. निम्नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी :–

(अ) जिन्हें शासकीय/कंपनी आवासगृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय/कंपनी आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किरायारहित आवासगृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो।

(ब) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी

(स) संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी।

4. गृह भाड़ा भत्ते संबंधी शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेशानुसार,

(ए.के. अवस्थी)
कार्यपालक निदेशक(मा0संसा0 एवं प्रशा0)
म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0, जबलपुर

क्रमशः..2....

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./3477 जबलपुर, दिनांक 25.07.2013

प्रतिलिपि –

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.–उत्पा)/(संचा.संधा.–जल विद्युत)/(अभियांत्रिकी)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(सामग्री प्रबंधन)/(नवीनी.एवं आधुनिकी.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (परि.–उत्पा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग /संगांताविगृ/सताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि/म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
6. मुख्य अभियंता (कापोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
7. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर ।
8. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
9.. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पा.–भंडार)/(सी.एस.)/(टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
10.. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/(संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/बाण सागर–दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., बरगी नगर/ तोतलाडोह/चंदेरी/गांधी सागर/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना/शिवपुरी ।
11. अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे. म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
12.. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/ अताविगृ/संगांताविगृ/सताविगृ/ श्रीसिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/चचाई/बिरसिंहपुर/ सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
13. निज सचिव/निज सहायक–संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (वाणिज्य), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर
14. आदेश नस्ती ।

–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,
कार्या॰कार्य॰निदे॰(मा॰संसा॰ एवं प्रशा॰)
म॰प्र॰पॉ॰ज॰कं॰लि॰,जबलपुर